श्री आर के ठाकुर, गांव व डाकखाना तलोडी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, द्वारा खनन पट्टा खसरा संख्या– 863/419 व 831, कुल रकवा 163–15 बीघा (13.2521 हेक्टेयर), मोजा/महाल तलोडी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र) से, रेत व बजरी के खनन व संग्रह हेतु के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 13–10–2016 को प्रातः 11.00 बजे श्री आर के ठाकुर, गांव व डाकखाना तलोडी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, द्वारा खनन पट्टा खसरा संख्या– 863/419 व 831, कुल रकवा 163–15 बीघा (13.2521 हेक्टेयर), मोजा/महाल तलोडी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र) से, रेत व बजरी के खनन व संग्रह हेतु के प्रस्ताव पर, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र) में पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी चम्बा की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान स्थानीय तहसीलदार सलूणी जिनके पास उपमण्डलाधिकारी सलूणी का अतिरिक्त कार्यभार भी हैं, श्रेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा, कार्यपालक अभियंता सिंचाई एवं जन स्वाथ्य विभाग सलूणी, सहायक अभियंता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग सलूणी, कनिष्ठ अभियंता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग उपमण्डल भलेई, प्रधान ग्राम पंचायत मंजीर, प्रधान ग्राम पंचायत मंझरी, उपप्रधान ग्राम पंचायत सुंडला व निकट गांवो के निवासी उपस्थित थे। सर्वप्रथम, श्री सुशील कुमार धीमान पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड श्रेत्रीय कार्यालय चम्बा ने अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों, उपस्थित जनता एवं खनन परियोजना के प्रतिनिधियों का अभिनन्दन किया और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की। तत्पश्चात परियोजना के प्रस्तावकों के प्रतिनिधि द्वारा स्यूल नदी के किनारे रेत व बजरी के खनन/संग्रह के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी जनसमूह कों दी। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित रेत व बजरी के खनन/संग्रह के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव,विचार,टिप्पणियां एवं आपक्तिया को बिना किसी दबाव के पुछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव	उत्तर
1	श्री अभिनाश ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत मंझली, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने खनन पट्टे से रेत व बजरी ढोने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों द्वारा कच्ची सड़कों पर उड़नें वाली धूल को कम करने के लिए उठाए	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा की वाहनों द्वारा उडाई गई धूल मिट्टी को दबाने के लिए समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।

		जाने वाले प्रभावी प्राभवधानों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि खनन परियोजना के द्वारा होने वाली आय से ग्राम पंचायत मंझली व अन्य स्थानीय पंचायतो से सम्बधित दिव्यांगो की सहायता के लिए क्या कोई प्रावधान रखा गया हैं।	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने दिव्यांगो की सहायता के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कहा कि दिव्यांगो हर संभव सहायता की जाएगी और प्रस्तावक द्वारा दिव्यांगो को व्हीलचेयर भी मुहैया करवाई जाएगी।
2	श्री अजेय शर्मा, उप प्रधान ग्राम पंचायत वांगल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने पूछा की क्या वृक्षारोपण किया जाएगा और अगर किया जाएगा तों कहां किया जाएगा? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या ग्राम पंचायत सुंडला के ग्रामीणो को रेत व बजरी की खरीद मूल्य पर खास रियायत दी जाएगी?	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने बताया की वृक्षारोपण, खनन के समय उपयोग में लाए जानें वाले 600 मीटर लम्बे रास्ते पर धूल मिट्टी को कम करनें के लिए किया जाएगा। यह भी बताया गया कि पेड़ पोधो का चुनाव ग्राम पंचायत की सहमति से किया जाएगा। खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत सुंडला के ग्रामीणो को रेत व बजरी की खरीद मूल्य पर खास रियायत दी जाएगी
3	श्री रविन्द्र कुमार ग्राम पंचायत मोड़ा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्रं)।	उन्होंने पूछा कि प्रस्तावित खनन परियोजना किस प्रकार से गांव के लिए लाभकारी है और प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए श्रमिक कहां से लिए जाएंगें।	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने बताया कि निगमित समाजिक दायित्त्व के प्रावधानों के अर्न्तगत राजकीय प्राथमिक पाठशाला में शोचालय का निमार्ण किया जाएगा और यह भी बताया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए रोजगार के लिए वरीयता स्थानीय ग्रामीणों को ही दी जाएगी जिससे उनकी आर्थिक व समाजिक स्थिति में सुधार हो सकें।
4	श्री नरेन्द्र ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत मंजीर,	उन्होंने पूछा कि प्रस्तावित खनन	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने बताया कि खनन परियोजना से जुड़े

	तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	परियोजना से जुड़े श्रमिकों के लिए क्या किया जाएगा ?	श्रमिकों के लिए खनन पट्टे के पास अस्थाई विश्राम गृह बनाया जाएगा।
5	श्री राजेश कुमार ग्राम ऐंरवान, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने खनन परियोजना से जुड़े श्रमिकों की दैनिक कार्य की समय की अवधि के सम्बन्ध में पूछा।	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने उत्तर में कहा की श्रमिकों की दैनिक कार्य की समय की अवधि के सम्बन्ध में श्रमिक नियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने भी बताया कि सांय 5.00 बजे के बाद कोई काम नहीं होंगा।
6	श्री राजीव कुमार ग्राम पंचायत सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने पूछा की खनन परियोजना के प्रस्तावक द्वारा श्रेत्र के समाजिक उत्थान के लिए क्या प्रयास कियें जाएंगे और श्रेत्र के बेरोजगार लोगो के रोजगार के लिए क्या किया जाएगा?	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने उत्तर देते हुए निगमित समाजिक दायित्त्व के प्रावधानों के अर्न्तगत किए जाने वाले कार्य से जनता को अवगत कराया। खनन पट्टे के प्रतिनिधि आश्वासन दिया कि खनन परियोजना में उपलब्ध रोजगार के लिए स्थानीय लोगो को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
7	श्री सुरेन्द्र कुमार, गांव दनून डाकखाना सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने खनन परियोजना के खनन कार्य में जेसीबी मशीनों के विस्तृत प्रयोग से स्थानीय लोगो मे बेकारी फैलने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए खनन कार्य में जेसीबी मशीनों के सीमित प्रयोग की बात कही व कहा की एक मीटर की गहराई तक खनन नहीं किया जाएगा।
8	श्री राकेश कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने नाले के साथ लगती सड़क की खराब हालत और उस पर उड़ने वाली धूल मिट्टी से गांव में होने वाले वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे मे बताया एवं इस सड़क की स्थिति सुधारने की बात कहीं।	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने कहा की वाहनों द्वारा उडाई गई धूल मिट्टी को दबाने के लिए सड़क पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ उड़ने वाली धूल मिट्टी की दर को कम करने के लिए सड़क पर गति रोधको का निर्माण किया जाएगा जिससे ढ़लाई वाहनों की गति कम हों और वृक्षारोपण भी किया जाएगा। यहां माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को र्निदेश दिया की खनन

			परियोजना की समय समय पर मॉनिटरिंग की जाए जिससे वायु प्रदूष्ण के रोकथाम के प्रावधानों का पूर्ण रुप से पालन हों सकें।
9	श्री शशि कांत, गांव व डाकखाना सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने कहा की ट्रेक्टर मालिक जो अपनी रोजी रोटी के लिए खनन व्यावसाय पर निर्भर है उन्हें रेत व बजरी उठाने की अनुमति दी जाए और खनन परियोजना के प्रस्तावक सभी आश्वासन लिखित में दें। उन्होंने खनन लीज को निजी व्यक्ति के बजाए ग्राम पंचायत को दिए जाने का सुझाव भी दिया।	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने बताया कि ट्रेक्टर मालिकों को उन्हें रेत व बजरी उठाने के लिए सरकार द्वारा निंधारित मूल्य पर रसीद दी जाएगी जिससे वह भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय नें श्री शशि कांत के द्वारा खनन परियोजना के प्रस्तावक से लिखित आश्वासन की मांग पर बताया कि इस जन सुनवाई की कार्यवाही की पूरी वीडियोग्राफी की जा रहीं हैं।
10	श्रीमती कुन्ता देवी, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत सुंडला तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने खनन प्रकिया के लिए जेसीबी का प्रयोग न करने का सुझाव दिया जिससे स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार मिल सकें।	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने जेसीबी के सीमित प्रयोग की बात दोहराते हुए बताया कि जेसीबी का प्रयोग केवल एक मीटर तक की खुदाई करनें के लिए किया जाएगा। उन्होंन आगे स्पष्ट करते हुए बताया कि रेत व बजरी की ढुलाई के लिए भी श्रमिकों को लगाया जाएगा। अतः श्रीमती कुन्ता देवी का संशय कि ग्राम पंचायत सुंडला के युवा बेरोजगार हो जायेंगे यह सही नही है।
11	श्री अशोक कुमार, गांव व डाकखाना सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हिप्र)।	उन्होंने सरकार द्वारा खनन से जुडे वाहनों के चालान से अर्जित राजस्व के कुछ प्रतिशत का प्रयोग स्थानीय पंचायतों की आधारभूत संरचनाओ के विकास मे प्रयोग में लाए जाने का सुझाव दिया।	खनन पट्टे के प्रतिनिधि ने सरकार द्वारा जारी निंदेशो व कानून के तहत आवश्यक प्रावधानों के पालन का आश्वासन दिया।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय श्री शुभ करण सिंह, अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा ने इस जन सुनवाई में इस प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में अपनें विचार व्यक्त कियें और पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों एवं स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद किया।

श्री शुभ करण सिंह
अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी
चम्बा, जिला चम्बा